रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 2018/चैत्र 15, 1940
No. 141] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 2018/CHAITRA 15, 1940

IndiaCode

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

फा.सं. 1205(1)/निफ्ट/स्था./एच.ओ./अध्यादेश/2017.— राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 28) की धारा 27 की उप-धारा (1) के अनुसरण में और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान शैक्षणिक कार्यक्रम अध्यादेश, 2012 के अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया या करने का लोप किया गया है, सीनेट निम्नलिखित अध्यादेश बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-**

(1) ये अध्यादेश का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अध्यादेश, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो;

(i) **"शैक्षणिक"** से अध्यापन, सीखने, प्रशिक्षण, मूल्यांकन अथवा परीक्षा और अनुसंधान संबंधित कार्यकलाप अभिप्रेत है;

(ii) **"शैक्षणिक कलैण्डर"** से संस्थान के सभी कैम्पसों के सभी विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक कार्यकलापों के कलैण्डर अभिप्रेत है;

(iii) **"शैक्षणिक सत्र"** से एक सेमेस्टर की अवधि जिसमें शैक्षणिक कार्यकलाप के पूर्वानिर्धारित सप्ताहों की संख्या शामिल होती है अभिप्रेत है;

(iv) **"शैक्षणिक वर्ष"** से जुलाई से जून की एक वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;

(v) **"आवेदक"** से वह व्यष्टिक जो संस्थान के किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए आवेदन करता है अभिप्रेत है;

(vi) **"प्रमाण पत्र"** से संस्थान के संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित संस्थान द्वारा प्रस्थापित किए गए एक वर्ष की अवधि का गैर-डिप्लोमा अथवा गैर-डिग्री कार्यक्रम अभिप्रेत है;

(vii) **"सक्षम प्राधिकारी"** से जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश में उपबंधित नहीं किया गया है, संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में महानिदेशक अभिप्रेत है;

(viii) **"परीक्षा नियंत्रक"** से संस्थान के मुख्यालय में परीक्षा नियंत्रक अभिप्रेत है;

(ix) **"दीक्षांत समारोह"** से वह संबद्ध आचार्य, स्नातकोत्तर अथवा स्नातक-पूर्व और सीनेट द्वारा यथा अनुमोदित अन्य कार्यक्रम जिनके पूरा होने पर डिग्रियां प्रदान करने के लिए संस्थान के समारोह अभिप्रेत है;

(x) **"पाठ्यक्रम"** से पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए विहित किए अध्ययनों की एक पूर्ण समय या अंश समय पद्धति जिसमें डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाते हैं अभिप्रेत है;

(xi) **"पाठ्यचर्या"** से प्रत्येक विषय में शामिल किए जाने वाले प्रकरण, मूल्यांकन संबंधी मानदंडों, क्रेडिट्स, समय-अवधि तथा किसी पाठ्यक्रम के लिए अन्य शैक्षणिक कार्यकलापों के ब्यौरे के साथ विषयों के विहित किए सेट अभिप्रेत है;

(xii) **"डिग्री"** से सीनेट द्वारा यथा अनुमोदित संस्थान की स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर, संबद्ध आचार्य तथा ऐसी अन्य डिग्रियाँ अभिप्रेत है;

(xiii) **"डिप्लोमा"** से सीनेट द्वारा यथा अनुमोदित संस्थान द्वारा पेश की गई एक से दो वर्ष की अवधि के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम अभिप्रेत है;

(xiv) **"परीक्षा"** अथवा "मूल्यांकन" से सीनेट द्वारा समय-समय पर विहित किसी छात्र के शैक्षणिक निष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(xv) **"संकाय सदस्य"** से अभिप्रेत है ऐसे शिक्षक जो संस्थान में शिक्षा प्रदान करने में लिप्त रहते हैं;

(xvi) **"श्रेणी"** से किसी विषय अथवा किसी पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यकलाप में किसी छात्र के कार्य निष्पादन को दर्शाने वाला अक्षर अथवा संख्यात्मक श्रेणी अभिप्रेत है;

(xvii) **"जूरी"** से छात्रों के शैक्षणिक कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए संकाय सदस्यों अथवा बाह्य विशेषज्ञों का एक पैनल अभिप्रेत है;

(xviii) **"कार्यक्रम"** से जिसमे अभिज्ञात शैक्षणिक अध्ययन सत्र जिसके तहत पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं; अभिप्रेत है ;

(xix) **"साझा कार्यक्रम"** से एक निर्धारित समयावधि के लिए एक बाहरी संस्था के साथ छात्र विनिमय कार्यक्रम अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

संस्थान की सभी डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम

3. डिग्री कार्यक्रम:- संस्थान के निर्णय और सीनेट के अनुमोदन से संस्थान, डिग्री प्रदान करने के लिए स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर, संबद्ध आचार्य तथा पश्च आचार्य संबंधी कार्यक्रमों की प्रस्थापना करेगा।

4. स्नातक कार्यक्रम:-

(1) स्नातक कार्यक्रम की अवधि प्रत्येक दो शैक्षणिक सत्र वाले चार शैक्षणिक वर्ष की होगी।

(2) संस्थान, डिजाइन स्नातक (बीडी), फैशन प्रौद्योगिकी स्नातक (बीएफटी) या कोई अन्य पाठ्यक्रम सीनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रस्थापना करेगा।

5. स्नातकोत्तर कार्यक्रम:-

(1) स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अवधि- प्रत्येक दो शैक्षणिक सत्र वाले दो शैक्षणिक वर्ष की होगी।

(2) संस्थान, डिजाइन में स्नातकोत्तर (एमडी) फैशन प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (एमएफटेक), फैशन प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमएफएम) तथा सीनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य कोई पाठ्यक्रम पेश करेगा।

6. दर्शनशास्त्र - वाचस्पति कार्यक्रम :-

(1) दर्शनशास्त्र - वाचस्पति कार्यक्रम, वस्त्र, फैशन, जीवनशैली, परिधान, शिल्प तथा किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में किए गए उपयोजन के अनुसार डिजाइन, प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में किया जाएगा।

(2) पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक दर्शनशास्त्र-वाचस्पति की अवधि सीनेट के निर्णय के अनुसार होगी।

7. पश्च आचार्य संबंधी कार्यक्रम:-

(1) आचार्य संबंधी कार्यक्रम, वस्त्र, फैशन, जीवनशैली, परिधान, शिल्प तथा किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में किए गए प्रस्थापना के अनुसार डिजाइन, प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में किया जाएगा।

(2) पश्च आचार्य संबंधी कार्यक्रम की अवधि सीनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगी।

8. डिप्लोमा कार्यक्रम:-

(1) संस्थान सीनेट द्वारा समय-समय पर किए गए अनुमोदन के अनुसार स्थानीय [उद्योग या शिल्प समुच्चय (क्लस्टर)] आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिप्लोमा कार्यक्रम की प्रस्थापना कर सकता है।

9. प्रमाण-पत्र कार्यक्रम:-

(1) संस्थान, संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर किए गए अनुमोदन के अनुसार स्थानीय [उद्योग या शिल्प समुच्चय (क्लस्टर)] आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों की प्रस्थापना कर सकता है।

(2) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार संस्थान का यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर पाठ्यक्रम या कार्यक्रमों को आरंभ, उपांतरित अथवा समापन कर दे।

अध्याय 3

संस्थान में छात्रों का प्रवेश

10. प्रवेश लेने की प्रक्रिया :–

(1) प्रवेश प्रकिया सीनेट द्वारा यथा अनुमोदित प्रवेश कलैण्डर के अनुसार तैयार की जाएगी।

(2) सीनेट द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार संस्थान के स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

(4) नि:शक्त/दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों की प्रवर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित और साधारण प्रवर्ग में किया जाएगा।

(5) आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत प्रवेश चाहने वाले आवेदकों को आरक्षित प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अध्ययन के कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होगा।

(6) यदि नि:शक्त/ दिव्यांग वर्ग में आवेदकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो इससे रिक्त किए गए स्थानों को उनके अपने-अपने मूल आरक्षित और साधारण प्रवर्ग के साथ विलय कर दिया जाएगा।

(7) आवेदन प्रारूप में एक बार भरे हुए प्रवर्ग को किसी चरण पर परिवर्तित नही किया जाएगा।

(8) आरक्षित प्रवर्ग के अधीन आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों को संबंधित राज्यों अथवा संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के समुचित प्राधिकारी से सुसंगत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(9) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अथवा विदेशी नागरिकों के लिए स्थान, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन अतिरिक्त संख्या के आधार पर उपलब्ध होंगी।

(10) राज्य मूल निवासी कोटा अथवा स्थाने, बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित अतिरिक्त संख्या के आधार पर उपलब्ध होंगी।

IndiaCode

(11) स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के अंतर्गत, अनिवासी भारतीयों अथवा विदेशी नागरिकों के मामले में, प्रवेश, स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित परीक्षाओं के आधार पर होगा। प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रपत्र, सीनेट द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

(12) अनुदेश अथवा परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

(13) प्रवेश के लिए परामर्श (काउंसलिंग) सीनेट द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार संस्थान के प्रवेश विभाग की समग्र निगरानी में संस्थान के सभी शिक्षा- संस्थों (कैंपस) पर होगा।

(14) सभी शिक्षा- संस्थों (कैंपस) अथवा सभी पाठ्यक्रमों के लिए स्थानों का आवंटन, अभ्यर्थी की योग्यता और वरीयता के अनुसार ही किया जाएगा।

(15) दर्शनशास्त्र-वाचस्पति और पश्च– आचार्य संबंधी कार्यक्रमों में प्रवेश सीनेट द्वारा निर्धारित की गई पात्रता मापदंड और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(16) डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश, सीनेट द्वारा समय-समय पर क्रियान्वित किए गए मापदंडों के अनुसार शिक्षा- संस्था (कैंपस) द्वारा दिया जाएगा।

(17) संस्थान के महानिदेशक, किसी विद्यार्थी का प्रवेश अनुशासनहीनता, मिथ्या प्रमाणन, दांडिक कदाचार अथवा सुसंगत सूचना के अधिक्रमण के आधार पर रद्द कर सकते हैं, जिस पर किसी अभ्यर्थी का संस्थान के किसी पाठ्यक्रम अथवा शिक्षा- संस्था (कैंपस) पर कोई दावा नहीं रहेगा और प्रतिदाय योग्य प्रतिभूति या जमा राशि के सिवाय, भुगतान की गई पूरी फीस जब्त कर ली जाएगी।

अध्याय 4

अध्येतावृत्ति (फैलोशिप), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करने के लिए शर्तें

11. अध्येतावृत्ति (फैलोशिप), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करने के लिए शर्तें:-

(1) संस्थान, बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित शर्तों के आधार पर अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार देना संस्थापित करेगा।

(2) स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या, इन्हें प्रदान किए जाने के लिए शर्तों के रूप में योग्यता तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर संस्थित की जाएगी।

(3) अध्येतावृत्ति, बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर आचार्य संबंधी संस्थान तथा पश्च संबद्ध आचार्य का अध्ययन करने वाले नियमित संकाय सदस्यों तथा कर्मचारिवृंद और संस्थान में पूर्णकालिक दर्शनशास्त्र-वाचस्पति तथा पश्च संबद्ध आचार्य का अध्ययन करने वाले शिक्षार्थियों को प्रदान की जाएगी।

(4) पदक और पुरस्कार, बोर्ड के अनुमोदित मापदण्ड के आधार पर संस्थान के डिग्री कार्यक्रमों के छात्रों और संकाय सदस्यों को शैक्षणिक तथा पाठ्येत्तर कार्यकलापों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाएंगे।

अध्याय 5

संस्थान में परीक्षा तथा डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करना

12. परीक्षाएं:-

(1) संस्थान की परीक्षाएं उन नियमित और पात्र छात्रों के लिए खुली रहेंगी जिन्होंने न्यूनतम उपस्थिति तथा पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात पाठ्यचर्या और शैक्षणिक कलैण्डर के अनुसार उस कार्यक्रम के अध्ययन के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संस्थान में अध्ययन के नियमित कार्यक्रम को पूरा किया हो।

(2) परीक्षा की योजना, सीनेट द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा पेपर सेटरों, मूल्यांकन कर्ताओं तथा जूरी सदस्यों का चयन सीनेट द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के कार्यक्रम को अधिसूचित करेगा और सीनेट द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित परीक्षा का आयोजन करेगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से परीक्षाओं के सुचारू संचालन, समय पर मूल्यांकन तथा परिणामों की घोषणा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

(5) सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक, छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेड सहित परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेगा।

(6) स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर, संबद्ध आचार्य तथा अन्य कोई डिग्री सीनेट द्वारा यथा अनुमोदित, संस्थान के दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएगी।

13. फीस :–

(1) स्नातक, परास्नातक, आचार्य संबंधी तथा पश्च संबद्ध आचार्य डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र कार्यक्रम की फीस, विवरण-पुस्तिका या विवरणिका में विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा संस्थान की वेबसाइट पर रखी जाएगी।

(2) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस और प्रतिदाय नीति, सीनेट द्वारा समय-समय पर किए गए अनुमोदन के अनुसार होगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

14. संस्थान में अनुशासन का अनुरक्षण :-

(1) प्रत्येक छात्र संस्थान में उचित अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखेगा।

(2) संस्थान के आचरण नियम, सीनेट द्वारा अधिकथित किए जाएंगे।

(3) छात्रों को संस्थान में प्रवेश लेते समय और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में संस्थान के आचरण नियमों का पालन करने के लिए वचनबंध देना होगा।

(4) किसी छात्र को संस्थान के आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रियाकलापों में संलिप्त हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(5) संस्थान, छात्रों द्वारा किए गए उल्लंघन के पुनर्विलोकन के लिए अनुशासन समिति का गठन करेगा जो उल्लंघन सिद्ध होने पर आचरण नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

(6) छात्रों को आचरण नियमों के अनुसार अनुशासन समिति के निर्णय के विरुद्ध संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अपील करने का अधिकार होगा।

(7) प्रत्येक शिक्षा-संस्था (कैंपस) तथा मुख्यालय में सीनेट द्वारा यथा अनुमोदित छात्रों की शिकायत निवारण के निश्चित चैनल होंगे।

15. संस्थान के छात्रों की रिहायश की शर्तों तथा हॉल एवं छात्रावास में रिहायश के लिए फीस तथा अन्य प्रभार:–

(1) संस्थान की सीनेट, शिक्षा संस्थों में अपने छात्रों के लिए फीस लेने सहित रिहायश की शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) बोर्ड द्वारा अनुमोदित होस्टल दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने के लिए निदेशक और समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार उसकी सहायता के लिए कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उत्तरदायी होगा।

16. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संपर्क :–

(1) संस्थान, छात्र या संकाय अदला-बदली, प्रशिक्षण, अनुसंधान, साझा कार्यक्रमों और परियोजनाओं के रूप में समान नीति तथा शैक्षिक हित वाले निजी और सार्वजनिक संस्थानों तथा संगठनों के साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क बनाएगा।

(2) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क संबंधी नीतिगत ढांचा समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

17. कतिपय मामलों में अध्यक्ष द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन :–

(1) यथास्थिति सीनेट का अध्यक्ष अथवा बोर्ड का अध्यक्ष, सीनेट अथवा बोर्ड की ओर से, उस अध्यादेश का अनुमोदन कर सकता है जो उनकी राय में शैक्षणिक कार्य के सुचारु संचालन के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक है; परंतु ऐसे संबंधी अध्यादेश यथास्थिति, सीनेट अथवा बोर्ड के समक्ष, इसकी आगामी बैठक में अनुमोदन अथवा अनुसमर्थन के लिए पेश किए जाएंगे।

(2) उक्त अध्यादेश से संबंधी यथास्थिति अध्यादेश सीनेट अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदन अथवा अनुसमर्थन, यथास्थिति सीनेट अथवा बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन की तारीख से, प्रवृत्त होगा।

शारदा मुरलीधरन, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./15/18]

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2018

F. No. 1205(1)/NIFT/Estt./HO/Ordinances/2017.– In pursuance of sub-section (1) of section 27 of the National Institute of Fashion Technology Act, 2006 (No. 28 of 2006) and in supersession of the National Institute of Fashion Technology Academic Programmes Ordinances, 2012, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Senate hereby makes the following Ordinances, namely:-

Chapter 1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement:-

(1) These Ordinances may be called the National Institute of Fashion Technology Ordinances, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- In these Ordinances, unless the context otherwise requires,-

(i) **"academic"** means the activities concerned with teaching, learning, training, evaluation or examination, and research;

(ii) **"academic calendar"** means the calendar for academic activities in the academic year to be followed by all departments across campuses of the Institute;

(iii) **"academic session"** means the period of one semester consisting of predetermined number of weeks of academic activity;

(iv) **"academic year"** means a period of one year from July to June;

(v) **"applicant"** means an individual who applies for admission to any academic programme of the Institute;

(vi) **"certificate"** means a non-diploma or non-degree programme for duration of up to one year offered by the Institute as approved by the concerned competent authority of the Institute;

(vii) **"competent authority"** means the Director General as the Principal Executive Officer of the Institute, unless otherwise provided in the Act, the Statutes or the Ordinances;

(viii) **"Controller of Examinations"** means the Controller of Examinations in the head office of the Institute;

(ix) "convocation" means a convocation of the Institute for conferring degrees on completion of doctoral, postgraduate or undergraduate and such other programme as may be approved by the Senate;

(x) **"course"** means a complete body of prescribed studies for a full time or part time academic programme leading to the award of a degree, diploma or a certificate;

(xi) **"curriculum"** means a prescribed set of subjects with details of topics to be covered in each subject, evaluation parameters, credits, hours and other academic activities for an individual course;

(xii) **"degree"** means the undergraduate, postgraduate, doctoral and such other degree of the Institute as may be approved by the Senate;

(xiii) **"diploma"** means a non-degree course of duration of one to two years offered by the Institute as approved by the Senate;

(xiv) **"examination" or "evaluation"** means the procedure used to evaluate the academic performance of a student as prescribed by the Senate from time to time;

(xv) **"faculty member"** means an educator who engages in academic delivery in the Institute;

(xvi) **"grade"** means a letter or numerical grade indicating the performance of a student in a subject or activity pertaining to a course;

(xvii) **"jury"** means a panel of faculty members or external experts for evaluation of academic performance of students;

(xviii) **"programme"** means an identified academic discipline under which courses are offered;

IndiaCode

(xix) **"twinning programme"** means the student exchange programme with an external institution for a prescribed period of time.

Chapter2

The courses of study for all degrees, diplomas and certificates of the Institute

3. **Degree Programmes:-** The Institute shall offer undergraduate, post-graduate, doctoral, and post-doctoral programmes for awarding degrees, as decided by the Institute and approved by the Senate.

4. Bachelor Programmes:-

(1) The duration of Bachelor Programme shall be of four academic years comprising of two academic sessions each.

(2) The Institute shall offer courses under Bachelor of Design (BDes) and Bachelor of Fashion Technology (B FTech) and any other course as decided by the Senate.

5. Masters Programmes:-

(1) The duration of Masters Programme shall be of two academic years comprising of two academic sessions each.

(2) The Institute shall offer courses under Master of Design (MDes), Master of Fashion Technology (MFTech) and Master of Fashion Management (MFM) and any other course as decided by the Senate.

6. Doctor of Philosophy Programmes:-

(1) Doctor of Philosophy Programme shall be offered in the areas of Design, Management and Technology as applied with reference to textile, fashion, lifestyle, apparel, craft and any other related field.

(2) The duration of the Doctor of Philosophy Programme in full-time or part-time mode shall be such as may be decided by the Senate.

7. Post Doctoral Programmes:-

(1) Post Doctoral Programmes shall be offered in the areas of Design, Management and Technology as applied with reference to textile, fashion, lifestyle, apparel, craft and any other related field.

(2) The duration of the Post doctoral Programme shall be as decided by the Senate.

8. Diploma Programmes:-

(1) The Institute may offer Diploma Programmes to address local (industry or craft cluster) needs, as approved by the Senate from time to time.

9. Certificate Programmes:-

(1) The Institute may offer Certificate Programmes to address local (industry or craft cluster) needs, as approved by the concerned competent authority from time to time.

(2) The Institute shall have the power to introduce, modify or discontinue courses or programmes from time to time as approved by the concerned competent authority.

Chapter 3

Admission of the students to the Institute

10. Admission Procedure: –

(1) The admission procedure shall be made in accordance with the admission calendar as approved by the Senate.

(2) The admission to undergraduate and postgraduate programmes of the Institute shall be made in accordance with the eligibility criteria as fixed by the Senate from time to time.

(3) The reservation of seats for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Backward Classes categories shall be in accordance with the guidelines of the Government of India issued in this regard from time to time.

(4) The reservation of seats for the Persons with Disability (PWD) category shall be in the reserved and general categories in accordance with the guidelines of the Government of India issued in this regard from time to time.

IndiaCode

(5) Applicants seeking admission under the reserved categories shall be required to fulfill the eligibility conditions for admission to the Programme of study specified for reserved categories.

(6) If sufficient number of applicants are not available in the PWD category, vacant seats so arising shall be merged with their respective parent reserved and general categories.

(7) Category once filled up in the application form shall not be changed at any stage.

(8) Candidates applying under reserved category shall produce the relevant certificate from the appropriate authority of the respective States or the Union territories concerned.

(9) Seats shall be available on supernumerary basis for the Non-Resident Indians or foreign nationals, subject to the limits specified by the Board.

(10) State domicile quota or seats shall be available on supernumerary basis as approved by the Board from time to time.

(11) Tests shall be conducted for admission to the under graduate and post graduate programmes and the formats for entrance tests shall be approved by the Senate: provided that in the case of Non-Resident Indians or foreign nationals, admissions shall be based on accepted internationally certified tests.

(12) The medium of instruction or examination shall be English.

(13) Counseling for admission shall be held at all campuses of the Institute under overall monitoring of the Admission Department of the Institute as per the process approved by the Senate.

(14) Allotment of seats for all campuses or courses shall be strictly according to the merit and preference of the candidate.

(15) Admission to the PhD and Post doctoral programmes shall be made in accordance with the eligibility criteria and procedure as laid down by the Senate.

(16) Admission to the Diploma programme shall be carried out by campuses as per the criteria laid down by the Senate from time to time.

(17) The Director General of the Institute may cancel the admission of any student on grounds of indiscipline, false certification, criminal misconduct or suppression of relevant information with no claim whatsoever of the candidate thereafter on any course or campus of the Institute and all fees paid shall be forfeited except refundable security or deposit.

IndiaCode

Chapter 4

Conditions for award of fellowships, scholarships, medals and prizes

11. Conditions for award of fellowships, scholarships, medals and prizes:-

(1) The Institute shall institute awards of fellowship, scholarship, medals and prizes based on the conditions approved by the Board from time to time.

(2) The number of scholarships for under graduate and post graduate programmes shall be instituted on the basis of the approval of the Board keeping merit and means as conditions for award of the same.

(3) Fellowships shall be provided to regular faculty members and staff pursuing doctoral and post doctoral studies and to scholars pursuing fulltime PhD and post doctoral studies in the Institute on the basis of approval by the Board.

(4) Medals and prizes shall be awarded for excellence in academic and co curricular activities to students of the Degree programmes and to the faculty members of the Institute on the basis of criteria approved by the Board.

Chapter 5

Examinations of Institute and award of degrees, diplomas and certificates;

12. Examinations:-

(1) Examinations of the Institute shall be open to regular and eligible students who have undergone a regular programme of study in the Institute for a period specified for that programme of study as per the curriculum and Academic Calendar after fulfilling the minimum attendance and after successful completion of the course requirements.

(2) The plan of examinations shall be as approved by the Senate and the selection of paper setters, evaluators and jury members shall be made in accordance with the procedure as approved by the Senate from time to time.

(3) The Controller of Examinations shall notify the schedule of examination and conduct the examination as approved by the Senate from time to time.

(4) The Controller of Examinations shall make all necessary arrangements for the smooth conduct of examinations, timely evaluation and announcement of results with the approval of the competent authority.

(5) The result of the examinations including the grades achieved by the students shall be declared by the Controller of Examinations on the approval of the competent authority.

(6) Degrees for the under graduate, post graduate, doctoral and any such other degree as may be approved by the Senate shall be awarded at the Convocation of the Institute.

13. Fees -

(1) The fees for bachelors, masters, doctoral, and post doctoral degree, diploma and certificate programme shall be specified in the prospectus or the brochure and placed on the website of the Institute.

(2) The fee and refund policy for each academic year shall be as approved by Senate from time to time.

Chapter 6

MISCELLANEOUS

14. Maintenance of discipline within Institute -

(1) Every student of the Institute shall maintain proper discipline and decorum of the Institute.

(2) The conduct rules for the Institute shall be laid down by the Senate.

(3) Students shall give an undertaking at the time of joining the Institute as well as at the beginning of each academic year to abide by the conduct rules of the Institute.

(4) Any student found indulging in any activities violating the conduct rules of the Institute shall be liable to disciplinary action.

(5) The Institute shall constitute disciplinary committees to review the violations by students and recommend disciplinary action in cases of proven violations in accordance with the conduct rules.

(6) Students shall have the right to appeal against the decision of the disciplinary committee to the concerned competent authority as per the conduct rules.

(7) Each campus and head office shall have definite channels for redressal of grievances of students as approved by the Senate.

15. Conditions of residence of students of Institute and levying of fees for residence in the halls and hostels and other charges:-

(1) The Senate of the Institute shall specify the conditions of residence including levy of fees for its students at campuses.

(2) The Director supported by any other Committee or Officer as decided from time to time shall be responsible for the maintenance of discipline in hostel in accordance with the hostel guidelines approved by the Board.

16. International and domestic linkages:-

(1) The Institute shall maintain linkages at the national and international level with private and public institutes and organisations with similar orientation and academic interest in the form of student or faculty exchange, training, research, twinning programmes and projects.

(2) The policy framework regarding the linkages at national and international levels shall be specified by the Board from time to time.

17. Approval of Ordinance by the Chairperson in certain cases:-

(1) The Chairperson of the Senate or the Chairperson of the Board may, on behalf of the Senate or the Board, as the case may be, approve an Ordinance, which in his opinion is necessary or expedient for smooth academic functioning;

IndiaCode

Provided that all such Ordinances shall be brought before the Senate or the Board, as the case may be, in its ensuing meeting for its approval or ratification.

(2) An approval or ratification by the Senate or the Board, as the case may be, relating to the Ordinance shall operate from the date of approval by the Chairperson of the Senate or the Board, as the case may be.

SARADA MURALEEDHARAN, Director General.

[ADVT.-III/4/Exty./15/18]

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.10 17:41:59 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.